न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 107/2026

राजस्थान सरकार जरिये रामावतार, प्रवर्तन अधिकारी

––प्रार्थी

बनाम

श्री राजवीर पुत्र श्री चन्दगीराम, प्रोपराईटर राजोरिया होटल शुद्व शाकाहारी, बगड रोड, झुंझुनूं।

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

––

उपस्थितः–
1. श्री विकास कुमार – प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओमप्रकाश सैनी – अधिवक्ता – अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.03.2026

प्रार्थी के अनुसार प्रार्थना पत्र निम्नानुसार पेश है कि दिनांक 26.02.2026 को राजोरिया होटल, शुद्व शाकाहारी, आदर्श नगर, पेट्रोल पम्प के सामने, बगड रोड, झुंझुनूं के विरुद्ध घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोग की औचक जांच मुझ रामावतार, प्रवर्तन अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा स्थल पर पहुंच की गई। मौका स्थल पर श्री राजवीर पुत्र श्री चन्दगीराम, आदर्श नगर, प्रतापपुरा, तहसील झुंझुनूं मिले, जिन्होनें स्वयं को प्रतिष्ठान का प्रोपराईटर बताया तथा स्वयं की उपस्थिति में निरीक्षण करवाया। मौका स्थल पर प्रतिष्ठान परिसर में 2 घरेलू गैस सिलेण्डर रखे पाये गये जिन पर प्रतिष्ठान कर्मचारी द्वारा खाद्य सामग्री बनाते हुये पाया। मौके पर प्रतिष्ठान के प्रोपराईटर श्री राजवीर से पूछताछ करने पर उनके द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक प्रयोग किये जाने के संबंध में कोई संतोषप्रद जबाब नही दियार गया तथा न ही इस संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। मौके पर पाये गये 2 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर खाद्य सामग्री बनाते पाये जाने के आधार पर श्री राजवीर पुत्र श्री चन्दगीराम, प्रोपराईटर राजोरिया होटल, शुद्व शाकाहारी, आदर्श नगर, प्रतापपुरा, झुंझुनूं द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का व्यावसायिक अवैध उपयोग की पुष्टि होती है। बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित तथ्यों के आधार पर मौके पर उपलब्ध 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर आदेश की धारा 13 (1)(ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में जब्त राज लिया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से उक्त सामग्री मौके पर बुलवाये गये राजकुमार पुत्र श्री बनवारी लाल मीणा, कासिमपुरा, तहसील झुंझुनूं, सेल्समैन बगड गैस सर्विस, बगड की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री राजवीर पुत्र श्री चन्दगीराम, प्रोपराईटर राजोरिया होटल, शुद्व शाकाहारी, आदर्श नगर, प्रतापपुरा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक अवैध उपयोग कर दुरुपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की धारा 3,4,6 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत विभागीय

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

आदेश एफ 86(8)खा.ले./नीति/6ए/2000 दिनांक 19.08.2000 के तहत संबंधित तेल कम्पनी को लौटाये जाने के आदेश फरमावें।

बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी को घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के धारा 3, 4, 6 व 7 का उल्लंघन करते पाये जाने पर मौके पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किये गये है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे स्वीकार कर जप्तशुदा सामग्री को संबंधित तेल कम्पनी के सुपुर्द करने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी ने प्रार्थी के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि जप्तशुदा 3 घरेलू सिलेण्डर अप्रार्थी के पड़ोशियों के है। अप्रार्थी का रोड़ पर हॉटल है। जिस पर लोग सिलेण्डर भरवाने हेतु रख जाते है। अप्रार्थी सिलेण्डरों का दुरूपयोग नही कर रहा था। जप्तुशुदा सिलेण्डर पड़ोशियों के होने के कारण होटल पर रखे हुए थे। अतः अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही निरस्त करते हुए जप्तशुदा सिलेण्छर दिलाने की कृपा करें।

हमने बहस उभय पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी ने मौके पर जप्त किये गये 2 सिलेण्डरों को पड़ोशियों का होना बताया है परन्तु सिलेण्डरों की जप्त की कार्यवाही के दौरान उक्त सिलेण्डर प्रतिष्ठान पर खाद्य सामग्री बनाते हुये पाये गये है। जिससे साफ जाहिर है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के धारा 3, 4, 6 व 7 का उल्लंघन किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जप्त किये गये 2 घरेलू सिलेण्डरों को राजसात कर संबंधित तेल कम्पनी को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं